राजस्व अनुवृत्ति पत्र

मामला कमांक 202501241400040 / अ 62 /2024-25

1	2	3

4-3-2025

प्रकरण पेश।

1.प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती मीना बाई पति मिलन राम जाति केंवट निवासी खुटेरी तहसील अर्जुन्दा जिला बालोद द्वारा धारा 240 छ.ग.भू.रा.संहिता अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपने भूमि स्वामी हक पर ग्राम खुटेरी प.ह.नं. 24 तहसील अर्जुन्दा स्थित भूमि ख.नं. 816 रकबा 0.09 हे.में रोपित कुल 03 नग सागौन, 03 नग आम का वृक्ष में से 02 नग सगौन वृक्ष को कटाई हेतु करने हेतु सूचना घोषणा पत्र के साथ बी-1 ,खसरा प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण दर्ज कर संयुक्त जॉच प्रतिवेदन किया गया। प्रतिवेदन में बताया है कि आवेदक के निजी भूमि ख.नं. 816 रकबा 0.09 हे. क्षेत्र में लगे सगौन वृक्षारोपन क्षेत्र का निरीक्षण कर खडे वृक्षो की छाती गोलाई का माप जोक किया गया है जिसमें वृक्ष कमांक 01 का सीना 2.20 मीटर गोलाई एवं वृक्ष कमांक 02 का सीना 2.10 मीटर गोलाई मापी गई है। मौके का पंचनामा तैयार कर संलग्न है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण राजस्व निरीक्षक डुडेरा एवं सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी गुण्डरदेही के संयुक्त हस्ताक्षर प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया। ग्राम खुटेरी स्थित भूमि ख.नं. 816 रकबा 0.09 हे. भूमि पर स्थित वृक्षो के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए छ.ग.भू.रा.संहिता की धारा 240-241 नियम 8 (2) अनुसार भूमि स्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किये जाने पर उसके खाते में कृषि रूप से रोपित वृक्षो की कटाई वन विभाग द्वारा किया जा सकेगा। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर छ.ग.भू.रा. संहिता की धारा 240-241 में बने प्रावधानो के तहत कुल 02 नग सगौन वृक्ष गोलाई 4.30 घनमीटर को काटने पर बने प्रावधानो के किन्ही उपबंधो का उल्लघन नही हो रहा है, के काटे जाने की अनुमति अभिव्यक्त निम्नांकित शर्तो के अधीन की जाती है -

अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही जिला बालोद (छ.ग.)

1. वृक्षो की कटाई वन विभाग द्वारा की जावेगी।
2. वन मण्डलाधिकारी महोदय बालोद वृक्षो की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराया जाए एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी।
3. जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जावेगा।
4. वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएगे।
5. रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय के माध्यम से कलेक्टर महोदय बालोद को दी जाएगी।
6. यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।
7. स्वीकृत संख्या से अधिक वृक्षो को न काटा जावे।
8. किसी प्रकार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आदेश स्वमेय निरस्त मानी जावेगी।

प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दा.द.हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गुण्डरदेही जिला-बालोद

अनुविभागीय अधिकारी
गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)

पृ०क्र०/604/अ०वि०अ०/2025 गुण्डरदेही दि०4-3.2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला बालोद को सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डालाधिकारी महोदय वन मण्ड़ल बालोद को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार अर्जुन्दा को सूचनार्थ।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी,परिक्षेत्र गुण्डरदेही को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खुटेरी प.ह.नं. 24 तहसील अर्जुन्दा को सूचनार्थ।
6. आवेदिका श्रीमती मीना बाई पति मिलन राम निषाद निवासी खुटेरी तहसील अर्जुन्दा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही जिला-बालोद (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गुण्डरदेही जिला-बालोद

अनुविभागीय अधिकारी
गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)